रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241119
CG-DL-E-15122022-241119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]	**नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944**
No. 785]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 879(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762(अ), तारीख 04 अक्टूबर, 2022 द्वारा तारीख 04 अक्टूबर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 06 अक्टूबर, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेईसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में तारीख उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 47 के उपनियम (1) की मद (गख) में "अधिकारिक पहचान पत्र" शब्दों के पश्चात् "या सेवा प्रमाणपत्र" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(3) उक्त नियम के 48 के उपनियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसे बी एच श्रृखंला के अन्तर्गत यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जिसका यान के स्वामी द्वारा स्वेच्छा से विकल्प लिया गया है, ऐसे राज्य के किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें यान के स्वामी का या तो स्थायी निवास है या कार्य का स्थान है और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, प्ररूप 60 में कार्यकरण प्रमाणपत्र या शासकीय पहचान पत्र/सेवा प्रमाणपत्र के सत्यापन के पश्चात् पोर्टल के माध्यम से यादृच्छिक रूप से सृजित किया जाएगा ।"।

4. उक्त नियम के नियम 51ख में,--

(क) उपनियम (3), के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"परन्तु यह और कि बी एच श्रृखंला में किसी रजिस्ट्रीकृत यान को किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में अन्तरित किया जाता है, जो नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (खग) के अनुसार बी एच श्रृखंला के लिए पात्र नहीं है तब ऐसा यान संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान नियमित रजिस्ट्रीकरण श्रृखंला से नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए दायी होगा और ऐसा यान संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कराधान नियमों के अनुसार मोटर यान कर के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि यदि बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में अंतरित किया जाता है जो बी एच श्रृखंला के लिए पात्र है, तब ऐसा यान जब तक अन्तरिती बी एच श्रृखंला के लिए पात्र रहता है, तब तक बी एच श्रृखंला के अधीन विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत बना रहेगा:

परन्तु यह भी कि बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकृत यान का स्वामी किसी समय नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (गख) के अनुसार, बी एच श्रृखंला के लिए पात्र नहीं रह जाता है तब ऐसा यान ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए कर का संदाय कर दिया है, के लिए बी एच श्रृखंला के अधीन रजिस्ट्रीकृत बना रहेगा ।"।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) यदि किसी समय, किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की नियमित श्रृखंला में रजिस्ट्रीकृत किसी यान का स्वामी नियम 47 के उपनियम (1) के खंड (गक) या खंड (गख) के अनुसार बी एच श्रृखंला के लिए पात्र हो जाता है, तब ऐसे यान का स्वामी, ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिसमें ऐसा यान वर्तमान में रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रखा गया है, के किसी ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन के लिए प्ररूप 27क में आवेदन करेगा ।

(5) बी एच श्रृखंला में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के समनुदेशन पर, उपनियम (4) में निर्दिष्ट यान का स्वामी उपनियम (3) के अनुसार का संदाय करने का दायी होगी ।"।

5. उक्त नियम में, प्ररूप 27 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप 27 क"

[नियम 51बी (4) देखें]

बीएच-श्रृंखला में नए पंजीकरण चिह्न के समनुदेशन के लिए आवेदन

सेवा में,

रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी,

....

मैं/हम.. का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री मोटर यान संख्याक.. चैसिस संख्या........................ [इंजन संख्या या बैटरी चलितयानों के मामले में मोटर संख्या]......................यान का प्रकार.................. का/के रजिस्ट्रीकृत स्वामी होने के नाते ....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने वाहन का बीएचश्रृंखला में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए पात्र हूं।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण दिनांक .... तक विधिमान्य है और यह इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन निलंबित या रद्द नहीं किया गया है।

मैं इस मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करता हूं/करते हैं।

मैं प्रपत्र 60 या शासकीय पहचान पत्र में अपना कार्य प्रमाण पत्र/सेवा प्रमाणपत्र संलग्न करता हूं ।

यान अवक्रय करार/पट्टा करार /उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन नहीं है ।

यान .... के साथ किए गए अवक्रय करार/पट्टा करार/ उपप्राधीयन के समझौते के अध्याधीन है और यदि वितपोषक द्वारा “अनापत्ति प्रमाण पत्र” स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है। यदि वितपोषक द्वारा “अनापत्ति प्रमाण पत्र” स्वीकार/अस्वीकार कर दिया गया है, तो आवेदक को इस आवेदन के साथ धारा 51 की उप-धारा (8) की अपेक्षानुसार घोषणा फाइल करनी होगी।

मेरा मोबाइल नंबर ………………… और ईमेल (यदि है) ……………………………

तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

6. उक्त नियमों में, प्रपत्र 60 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रारूप 60"

[नियम 47(1) (गक) देखें]

कार्य प्रमाणपत्र

सेवा में,

रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी,

………………………………

………………………………

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि श्री ………………...............पुत्र/पुत्री…………….............. स्थाई पता ………………………….. हमारी कंपनी/संगठन में …………………………… से काम कर रहा है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों या उससे अधिक में कार्यालय हैं। हमारे संगठन का विवरण इस प्रकार है :-

1. संगठन का नाम-
2. संगठन की पंजीकरण संख्या-
3. जीएसटी पंजीकरण संख्या-
4. पैन संख्या-
5. रजिस्ट्रीकृत/कारपोरेट कार्यालय का पता-
6. ईमेल पता -

कर्मचारी का विवरण इस प्रकार है-

1. कर्मचारी का रोजगार पहचान पत्र -
2. कर्मचारी का यूएएन (अद्वितीय खाता संख्या)-
3. कर्मचारी का मोबाइल नंबर-
4. कर्मचारी का ईमेल पता -
5. कर्मचारी का पैन संख्या-

आवेदक के हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता

दिनांक ………………………….. आधिकारिक मुहर"।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2019-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 .06.1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 863(अ), तारीख 01.12.2022 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2022

G.S.R. 879(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 762 (E), dated the 4th October, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th October, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 6th October, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a), (d) and (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twenty-third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, in sub-rule (1), in item (cb), after the words "Official Identity Card", the words " or Service Certificate" shall be inserted.

3. In rule 48 of the said rules, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that application for registration of vehicle under BH series, opted voluntarily by the vehicle owner, shall be made to any registering authority of the state, in which the vehicle owner has either permanent residence or place of work and the registration mark shall be generated randomly through the portal after verification of working certificate in Form 60 or Official identity card / Service Certificate, as the case may be, by the registering authority.".

4. In rule 51B of the said rules, -

(a) in sub-rule (3), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that if a vehicle registered in BH-series, is transferred in the name of such person who is not eligible for BH-series, as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then, such vehicle shall be liable for assignment of new registration mark from regular registration series prevailing in the concerned State or Union Territory and such vehicle shall also be liable for motor vehicle tax as per the taxation rules of concerned State or Union Territory:

Provided also that if a vehicle registered in BH-series, is transferred in the name of such person who is eligible for BH-series, then such vehicle shall continue to be validly registered under BH-series so long as transferee remains eligible for BH-series:

Provided also that if at any time owner of the vehicle registered in BH-series, ceases to be eligible for BH-series, as per clauses (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47, then such vehicle shall continue to be registered under BH-series for the remaining period for which tax has been paid.”.

(b) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(4) if at any time, owner of a vehicle registered in regular series of any State or Union Territory becomes eligible for BH-series as per clause (ca) or (cb) of sub-rule (1) of rule 47 and owner of such vehicle opts for registration mark in BH-series for such vehicle, then owner of such vehicle shall apply in Form 27A for assignment of registration mark in BH-series to any registering authority of the State or Union Territory in which such vehicle is currently registered or placed.

(5) On assignment of registration mark in BH-series, the owner of the vehicle referred to in sub-rule (4) shall be liable to pay tax as per sub-rule (3).”.

5. In the said rules, after Form 27, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM 27A

[See rule 51B (4)]

Application for assignment of new registration mark in BH-Series

To

The Registering Authority,

....

I/We...son/wife/daughter of .... being the Registered Owner of Motor Vehicle No. .... bearing Chassis No. ....

[Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles] Type of vehicle.. hereby declare that I am eligible for getting my vehicle registered in BH-Series.

I hereby declare that the registration is valid up …………………………………………and it has not been suspended or cancelled under the provisions of this Act.

I enclose the certificate of registration of this motor vehicle.

I enclose my working certificate in Form 60 or official identity card / Service Certificate.

*The vehicle is not subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation.

The vehicle is subject to an agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with

.... and the NOC has been granted/refused by the Financier thereunder. If "No Objection Certificate" has been refused by the Financier, the applicant should file along with this application a declaration as required under sub-section (8) of section 51.

My mobile number is .... and email (if any) is …………………………………

Date...........................

Signature/ e-signature of the Applicant”.

6. In the said rules, for Form 60, following Form shall be substituted, namely:-

“Form 60

[See rule 47(1) (ca)]

Working Certificate

To

The Registering Authority,

…………………………….

…………………………….

We hereby declare that Shri ………………………… ………S/o/ D/o……………………. permanent address ………………………….is working in our company/organization since……………………………. It is further to certify that we have offices in four States/UTs or more. Details of our organisation is as follows-

1. Name of organisation -
2. Registration number of organization -
3. GST registration number (optional) -
4. PAN -
5. Address of registered/corporate office -
6. E- mail address –

Details of employee is as follows-

1. Employment id of employee-
2. UAN (Unique Account Number) of employee-
3. Mobile number of employee-
4. E- mail address of employee –
5. PAN of employee-

Signature /e-signature of the Applicant

Signature of the Authorised Signatory of the Organisation

Name of the Authorised Signatory

Address of the Authorised Signatory

Mobile number of the Authorised Signatory

E-mail address of the Authorised Signatory

Date…………………………….. official seal".

[F. No. RT-11036/48/2019-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 863(E), dated the 1st December 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.15 23:06:09 +05'30'